भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-433

उत्तर देने की तारीख-02/02/2026

पीएम पोषण के तहत सामाजिक संपरीक्षा

† 433. श्री केसिनेनी शिवनाथः

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों को देश में प्रत्येक वर्ष प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंतर्गत सामाजिक संपरीक्षा कराने की सलाह दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार इस योजना के अंतर्गत राज्यों द्वारा की जाने वाली सामाजिक संपरीक्षा की निगरानी करती है;

(ग) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत विगत पांच वर्षों के दौरान राज्य-बार और वर्ष-वार कितनी सामाजिक संपरीक्षाएं की गई हैं;

(घ) वर्ष 2019 से 2024 तक इस योजना के अंतर्गत देश में विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में जिला-वार और वर्ष-वार कितनी सामाजिक संपरीक्षाएं की गई हैं;

(ङ) क्या सरकार की राज्यों के सामाजिक लेखापरीक्षा तंत्र की निगरानी के लिए कोई प्रणाली शुरू करने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या राज्यों को सामाजिक संपरीक्षा करने के लिए कोई प्रोत्साहन प्रदान करने की योजना है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ): प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना एक प्रमुख अधिकार-आधारित केंद्र की प्रायोजित योजना है, जिसे राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र (यूटी) के सहयोग से लागू किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य बाल वाटिका (कक्षा-1 से ठीक पहले) तथा कक्षा 1 से 8 तक के सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बच्चों को प्रतिदिन ताजा स्वादिष्ट पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। बच्चों को ताजा पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने की समग्र जिम्मेदारी राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन की होती है।

प्रधानमंत्री पोषण योजना (पीएम पोषण) के प्रचलित दिशा-निर्देश के अनुसार, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्र को प्रत्येक जिले में कम से कम 20 विद्यालयों अथवा जिले के कुल विद्यालयों के 2% (जो भी अधिक हो) में सामाजिक संपरीक्षा कराना अनिवार्य है। सामाजिक संपरीक्षा के निष्कर्षों पर कार्रवाई करने और अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार एवं संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन की होती है।

पिछले पाँच वर्षों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार किए गए सामाजिक संपरीक्षा की संख्या परिशिष्ट-I में दी गई है। वर्ष 2019 से 2024 तक आंध्र प्रदेश में योजना के तहत किए गए सामाजिक संपीक्षा, जिला-वार और वर्ष-वार ब्यौरा अनुलग्नक-II पर दिया गया है।

(ङ) से (छ): इस योजना में व्यापक निगरानी तंत्र भी दिया गया है, जैसे कि माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में सशक्त समिति, शिक्षा मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य संचालन-सह-निगरानी समिति, तथा जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तर संचालन-सह-निगरानी समिति। पीएम पोषण के दिशा-निर्देशों में जिला स्तर पर एक समिति का प्रावधान है, जिसकी अध्यक्षता जिले के वरिष्ठतम सांसद द्वारा की जाती है, जो त्रैमासिक आधार पर योजना की निगरानी करते हैं।

पीएम पोषण योजना के कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड, जिसकी अध्यक्षता शिक्षा मंत्रालय के सचिव करते हैं, प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में किए गए सामाजिक अंकेक्षणों की निगरानी करता है तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में सामाजिक अंकेक्षण करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रस्तावों को पीएम पोषण दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुमोदित भी करता है। पीएबी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र को वार्षिक कार्यकलापों का कैलेंडर तैयार करने, सामाजिक अंकेक्षण रिपोर्ट तथा कार्यवाही रिपोर्ट साझा करने की सलाह भी देता है। सामाजिक अंकेक्षण पर होने वाले व्यय योजना के एमएमई घटक द्वारा किए जाते हैं।

अनुलग्नक-I

पीएम पोषण के तहत सामाजिक संपरीक्षा के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री केसिनेनी शिवनाथ द्वारा दिनांक 02.02.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.433 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पिछले पांच वर्षों में किए गए सामाजिक संपरीक्षा का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्रं.सं	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	किए गए सोशल ऑडिट की संख्या				
		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	आंध्र प्रदेश	0	0	52	520	900
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	120	560	560
3	असम	0	447	1005	942	932
4	बिहार	0	0	11	753	553
5	छत्तीसगढ	0	28250	22251	36270	1097
6	गोवा	0	48	0	41	42
7	गुजरात	0	60	194	323	11413
8	हरयाणा	0	0	0	0	60
9	हिमाचल प्रदेश	0	65	207	248	473
10	झारखंड	0	6817	1031	1035	745
11	कर्नाटक	0	93	1095	800	809
12	केरल	0	0	280	450	308
13	मध्य प्रदेश	0	45483	50462	2600	2600
14	महाराष्ट्र	0	2523	1802	0	4278
15	मणिपुर	0	5	20	20	100
16	मेघालय	0	1415	306	213	280
17	मिजोरम	0	80	220	0	80
18	नगालैंड	0	40	16	32	21
19	ओडिशा	0	0	0	600	1080
20	पंजाब	0	120	0	238	540
21	राजस्थान	0	50	2396	589	459
22	सिक्किम	0	0	0	0	100
23	तमिलनाडु	0	5	0	0	954
24	तेलंगाना	0	0	66	660	660
25	त्रिपुरा	0	160	160	160	160
26	उत्तर प्रदेश	0	0	1500	1575	2365
27	उत्तराखंड	0	143	162	146	284
28	पश्चिम बंगाल	0	0	400	5405	5441
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	65
30	चंडीगढ़	0	26	21	20	25
31	दादरा और नागर हवेली	0	70	94	88	60
32	दिल्ली	0	170	0	375	418
33	जम्मू एवं कश्मीर	0	270	18142	18142	400
34	लद्दाख	0	0	270	40	40
35	लक्षद्वीप	0	0	10	0	7
36	पुदुचेरी	0	0	0	0	293

*कोविड-19 महामारी के कारण आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 के दौरान सोशल ऑडिट नहीं किए गए।

अनुलग्नक-II

पीएम पोषण के तहत सामाजिक संपरीक्षा के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री केसिनेनी शिवनाथ द्वारा दिनांक 02.02.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.433 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

आंध्र प्रदेश में वर्ष 2019 से 2024 तक इस योजना के तहत जिलेवार और वर्ष-वार किए गए

सामाजिक संपरीक्षा

क्र.सं.	जिलो का नाम	2019-20*	2020-21*	2021-22*	2022-23	2023-24	2024-25
1	श्रीकाकुलम	0	0	0	2	20	34
2	मन्याम	0	0	0	2	20	26
3	विजयनगरम	0	0	0	2	20	31
4	विशाखापत्तनम	0	0	0	2	20	20
5	अस्र	0	0	0	2	20	57
6	अनकापल्ली	0	0	0	2	20	33
7	काकीनाडा	0	0	0	2	20	27
8	पूर्वी गोदावरी	0	0	0	2	20	20
9	कोनासीमा	0	0	0	2	20	25
10	एलुरु	0	0	0	2	20	29
11	पश्चिम गोदावरी	0	0	0	2	20	28
12	कृष्ण	0	0	0	2	20	27
13	एनटीआर	0	0	0	2	20	20
14	गुंटूर	0	0	0	2	20	25
15	पलनाडु	0	0	0	2	20	35
16	बापतला	0	0	0	2	20	28
17	प्रकाशम	0	0	0	2	20	41
18	एसपीएसआर नेल्लोर	0	0	0	2	20	61
19	तिरुपति	0	0	0	2	20	31
20	चित्तूर	0	0	0	2	20	47
21	अन्नमय्या	0	0	0	2	20	43
22	वाईएसआर कडप्पा	0	0	0	2	20	56
23	श्री सत्यसाईं	0	0	0	2	20	32
24	अनंतपुरम	0	0	0	2	20	36
25	कुपनूल	0	0	0	2	20	51
26	नंदयाल	0	0	0	2	20	37
	कुल	**0**	**0**	**0**	**52**	**520**	**900**

*कोविड-19 महामारी के कारण आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान सोशल ऑडिट नहीं किए गए।